

भूमि आवंटन बाबत चैक लिस्ट

1	जिले का नाम	सवाई माधोपुर
2	आवेदक संस्था का नाम/पता व विवरण	अपर सेशन एवं जिला न्यायधीश सवाई गंगपुर सिटी
3	संस्था का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र व अन्य विवरण	Rajasthan Government
4	संस्था का गत 3 वर्ष का आय-व्यय का विवरण	लागू नहीं है।
5	संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजना रिपोर्ट निर्माण लागत एवं आर्थिक संसाधनों का विवरण	-
6	क्या उक्त संस्था को उक्त क्षेत्र में अनुभव है? उसका विवरण	-
7	संस्था को भू-आवंटन का प्रयोजन एवं सम्बन्धित विभाग की अभिशंषा/अभिमत एवं मान्यता	न्यायालय भवनों एवं न्यायिक अधिकारियों के आवासों के निर्माण हेतु
8	संस्था द्वारा नोर्म्स से अधिक भूमि चाहे जाने पर उसका औचित्य	आगामी 25 वर्षों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए 5.33 है० चारागाह भूमि चाही गयी है।
9	क्या संस्था को पूर्व में कभी इस जिले में भूमि आवंटित की गई थी? यदि हां तो उसका विवरण	वर्तमान में नगर पालिका क्षेत्र में सिविल न्यायालय भवन एवं आवास भवन बने हुए है।
10	परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को मिलेगा? व क्या लाभ मिलेगा?	समाज के सभी वर्गों को लाभ होगा।
11	संस्था द्वारा चाही जा रही भूमि का विवरण-राजस्व ग्राम का नाम ख०नं०किस्म, क्षेत्रफल मय जमाबन्दी व राजस्व नक्शों के	ग्राम जाट बड़ौदा के ख०नं० 2 रकबा 16.55 है० में से 1.00 है०, ख०नं० 15 रकबा 0.08 है०, ख०नं० 16 रकबा 4.25 है० कुल रकबा 20.88 है० में से रकबा 5.33 है० चारागाह भूमि
12	संस्था को आवंटन की जाने वाली भूमि की प्रस्तावित दर	निःशुल्क
13	आवेदक द्वारा चाही गयी रियायत का विवरण	-
14	प्रस्तावित भूमि की कुल कीमत	-
15	चाही गयी भूमि की वर्तमान डी०एल०सी० दर	-
16	क्या प्रश्नगत भूमि बाबत वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है या स्थगन आदेश तो नहीं है?	नहीं
17	भू-उपयोग परिवर्तन होना है? भूमि की श्रेणी (ग्राम नगरीय परिधि भूमि, राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग से दूरी)	हाँ
18	क्या भूमि पर पूर्व से निर्माण है?	वर्तमान में भूमि खाली है।
19	यदि भूमि पर अतिक्रमण हो तो उसका विवरण	प्रस्तावित भूमि विवाद रहित व अतिक्रमण मुक्त है।
20	क्या भूमि कमाण्ड क्षेत्र में है?	नहीं
21	भूमि आवंटन के प्रस्ताव के साथ संलग्न रिकार्ड जमाबन्दी-राजस्व नक्शा-तहसीलदार की रिपोर्ट व अन्य आवश्यक रिपोर्ट	परिशिष्ट(ब), जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस, मौका रिपोर्ट
22	क्या प्रस्तावित भूमि चारागाह भूमि है? यदि हां तो ग्राम पंचायत की राय/अभिशंषा संलग्न है या नहीं? चारागाह भूमि के क्षतिपूर्ति के प्रस्ताव	हाँ-ग्राम पंचायत खानपुर बड़ौदा का प्रस्ताव संलग्न है। क्षतिपूर्ति प्रस्ताव ग्राम मिलकपुर के ख०नं० 48 कुल रकबा 11.74 है० में से रकबा 5.34 है० सिवायचक भूमि
23	यदि संबन्धित भूमि नगरीय क्षेत्र या पेरीफैरी क्षेत्र में है तो क्या निकाय की एन.ओ.सी. संलग्न है?	नहीं, ग्रामीण क्षेत्र
24	भूमि नगरीय क्षेत्र में होने पर नगर नियोजन विभाग की राय	नहीं है।
25	यदि मास्टर प्लान बन चुका है तो क्या भू-उपयोग परिवर्तन मास्टर प्लान के अनुरूप है अथवा भू-उपयोग परिवर्तन की शर्त के साथ आवंटन किया जाना है?	-
26	प्रस्तावित भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की तो नहीं है	हाँ
27	किस नियम/परिपत्र के अन्तर्गत आवंटन प्रस्तावित किया गया है?	आवंटन नियम 1963 एवं टिनेन्सी एक्ट, 1955 के नियम 7 के अन्तर्गत
28	विभिन्न प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि के आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि की सूचना/प्रयोजन जिला कार्यालय की वेबसाइट व नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक किये जाने का विवरण।	जिला कार्यालय की वेबसाइट व नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक कर दिया गया है।

उपरोक्त सभी बिन्दुओं के सम्बन्ध में तथ्यों का सत्यापन कर तत्सम्बन्धी संतुष्टी कर ली गई एवं तदनुसार उक्त प्रकरण में भू-आवंटन करने की अभिशंषा की जाती है।